

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय से चतुर्थ धल, ब्लॉक-8, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

E-mail - rajsthsa@rajsthsa.org

संज्ञक: राजस्थान/2024/वि.वि./यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2024-25/

दिनांक -

सदन आधारित यूथ एवं ईको क्लब दिशा निर्देश 2024-25

"वृक्ष है तो जल है, जल है तो कल है।"

यूथ एवं ईको क्लब -

- (1) यूथ क्लब के तहत बच्चों में नोचन, जोने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संघर्ष जैसी मनोदोषों को दूर कर सोच में लगीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्यीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गयी है।
- (2) ईको क्लब के तहत बच्चों को अपने आस-पास के पर्यावरण, जैव-विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की गयी है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है।
- (3) विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण हेतु इस्ति पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन को लागू करने के लिये ईको क्लब पुर्नगठित करना। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छ बनाने, वृक्षारोपण व संरक्षण आदि कार्य को दृष्ट एवं ईको क्लब अन्तर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जाये।
- (4) इनके क्लब के माध्यम से उद्देश्य विद्यालय स्तर पर जीवन उत्कर्ष को कम कर जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना।
- (5) विश्व पर्यावरण की शक्ति "ईको सिस्टम रिस्टोरेशन: रीइनेजिन (फिर से बनाना) एवं पुर्नस्थापना" करने के उद्देश्य की क्रियान्विती हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उष्ण व अर्द्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाए रखना, जल संरक्षण एवं जलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।

यूथ एवं ईको क्लब मरुन की प्रक्रिया :-

1. प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 के लिये यूथ एवं ईको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
2. विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे।
3. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
4. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।
5. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पाँचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

RajKaj Ref
7397048



Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar
Bunker
Designation Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 15:16:22 IST
Reason Approved

6. इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत नांव सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब के तहत लन्ही नाम से गण सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।
7. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी शिक्षा सदन (हाऊस) का सदस्य होगा विद्यालय की अंतिम वक्ता तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।
8. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को सभी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संवालिता करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में करिष्ठ एवं फनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करना है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संवालिता करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को सम्मान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।
9. पात्र मूल तत्त्व आधारित नामों में से जिस नाम काव से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है उसी सदन (हाऊस) के नाम का अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्त्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।
10. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम का अर्थ को समझाने हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में समझाने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम का महत्व बताते हुए इस नाम को अन्तः विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि स्त्रियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का लेख प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समझ रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।
11. प्रत्येक सदन (हाऊस) में यूथ एवं ईको क्लब की समस्त गतिविधियाँ आयोजित की जायेगी। ये गतिविधियाँ प्रत्येक शिक्षक/शिक्षकों के निर्देशन में संवालिता की जायेंगी।
12. सम्स्त विद्यार्थियों को यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
13. सम्बन्धित नव प्रवेशित शिक्षक के विद्यालयों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी एवं विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पांचों सदन के मध्य आयोजित की जायेंगी।
14. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से नाम सभा के दौरान गतिविधियों का प्रदर्शन कराया जायेगा।
15. विद्यार्थी उपनिवेशी रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जात सभी विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी परभाव होगा।
16. विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संयोजित किया जायेगा। रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं ईको क्लब तथा सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा। रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की लय की गतिविधि अंकित की जायेगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोट्स अधिकारी व स्तरा प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
17. विद्यालय व्यवस्थापन के समस्त संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को "यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर" का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

RajKaj Ref
7337048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar
Bunker
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 16:16:22 IST
Reason: Approved

गतिविधियाँ:-

> यूथ क्लब गतिविधियाँ:-

- यूथ क्लब गतिविधियों में विज प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ इत्यादि शामिल किया जाए।
- विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों के रचनात्मक, कार्य कौशल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के अवसर प्रदान किये जाए। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों का मार्गदर्शन/सहयोग लिया जाये।
- विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दिए जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन करवाया जाए।

> ईको क्लब गतिविधियाँ:-

- वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल-चित्रों का प्रदर्शन, अभिवाचकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन करवाया जाए।
- विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाएँ यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक सुविधाओं गुप्त शौचालय-मूत्रालय पेयजल एवं हाथ धुलाई व्यवस्थाएँ क्रियाशील होनी चाहिये।
- विद्यालय में चारदीवारी, पर्याप्त भूमि एवं जलस्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका एवं फलदार पौधों एवं किचन गार्डन को लगाया जाये।
- राशि का उपयोग कचरा पात्र (नीला व हरा), जल निकासी की सुचारु व्यवस्था, वृक्षारोपण, पानी की टंकी की सफाई, ट्री गाडेंड इत्यादि में किया जाए।
- विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना अनिवार्य है। चारदीवारी विहीन विद्यालयों में ऐसे पौधे लगाए जाए, जो चारदीवारी का कार्य करें साथ ही जिन्हें पशु नहीं खाते हों।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षों के अभाव में होने वाले नुकसान जैसे विषयों पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएँ यथा निबन्ध, चित्रकला भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, नवकट नाटक इत्यादि का आयोजन किया जाए।
- दृष्टों में अपने स्थानीय पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए वही उगने वाले पौधे, घास, फलदार वृक्षों की जानकारी दी जाए तथा इनके संरक्षण के सम्बन्ध में कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए।
- सेमित किए गए वृक्षों के संरक्षण का कार्य पूर्ण आत्मीयता से साध किया जाए।

राशि उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश व निर्धारित समय सीमा -

1. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है -

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से नवम्बर
80%	20%

2. वज्र टाटा होम पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही अगल में साई जाएगी।

क्र.स.	सामग्री का नाम	प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राशि व्यय के प्रावधान
1	स्प्रेशनरी, क्वा, पेन्सिल इत्यादि	500	500	1000
2	यूथ क्लब की गतिविधि	1500	3500	5500
3	विद्यालय में साफ-सफाई स्वच्छता इत्यादि हेतु	1500	2500	3000
4	ईको क्लब की गतिविधि	1500	3500	5500
	कुल राशि	5000	10000	15000

नोट - उक्त टेबल की क्रम संख्या 04 में वर्णित ईको क्लब वृक्षारोपण में किया जाना है।

RajKaj Ref
7397048

Signature Valid

Digital signed by Shresh Kumar
Bunker
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 19:16:22 IST
Reason: Approved

जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य -

- डाउन 2022-23 में प्रविष्ट राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के 51772 एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर के 17418 शिक्षार्थियों के लिये बजट का प्रावधान रखाकृत है (शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को छोड़ते हुये)।

Youth & Eco Budget 2024-25								
S No.	District	PS	Financial @ Rs. 5,000/-	UPS	Financial @ Rs. 10,000/-	Secondary & Sr. Secondary	Financial @ Rs. 15,000/-	Total School Total Financial in lac
1	ALWAR	253	12,40,000	605	60,50,000	211	91,95,000	1876 185,35,000
2	ALWAR	98	49,00,000	977	97,70,000	686	132,90,000	2844 279,65,000
3	BANSWARA	2140	117,00,000	460	46,00,000	521	78,15,000	3321 241,15,000
4	BANSWAR	863	42,15,000	397	19,70,000	331	49,65,000	1591 132,50,000
5	BARMER	2741	137,05,000	1157	115,70,000	452	141,70,000	4852 396,45,000
6	BHARATPUR	625	31,30,000	556	55,60,000	903	88,95,000	1779 175,85,000
7	BHILAINAGA	1373	68,65,000	90	20,10,000	631	94,65,000	2995 257,40,000
8	BIKANER	1085	54,25,000	423	45,30,000	575	86,25,000	2179 195,80,000
9	BLITOM	504	10,20,000	17	37,10,000	291	43,95,000	1286 110,95,000
10	CHITTALGARH	759	38,45,000	619	61,90,000	417	63,55,000	1825 165,90,000
11	CHURU	360	18,00,000	471	47,10,000	592	88,80,000	1443 154,90,000
12	DALBA	715	35,75,000	423	47,30,000	419	63,55,000	1577 143,90,000
13	DHOLPUR	514	25,70,000	402	30,20,000	326	49,90,000	1142 107,80,000
14	DLINGAPUR	1866	93,30,000	418	41,80,000	452	67,95,000	2737 205,05,000
15	DUNGAR	872	43,60,000	563	56,90,000	511	76,65,000	1952 177,35,000
16	HANUMANGARH	305	15,25,000	374	37,40,000	401	64,65,000	1110 117,30,000
17	JAIPUR	1514	75,70,000	1142	114,20,000	1121	168,15,000	3777 358,05,000
18	JASMER	773	38,65,000	285	28,50,000	252	37,80,000	1310 104,95,000
19	JALOR	916	45,80,000	575	57,50,000	449	67,35,000	1880 164,65,000
20	JHAJRAWAL	755	37,75,000	594	59,40,000	341	51,15,000	1690 148,30,000
21	JILKAHLU	472	23,60,000	515	51,50,000	557	83,55,000	1544 156,65,000
22	JODHPUR	1511	75,55,000	847	84,10,000	851	127,65,000	3663 307,30,000
23	KARALI	728	36,40,000	366	36,60,000	337	50,55,000	1451 126,55,000
24	KOTA	256	12,80,000	410	41,00,000	331	49,65,000	1097 108,45,000
25	KUGLUR	1377	68,85,000	889	88,90,000	855	128,25,000	3071 287,50,000
26	PALI	614	30,70,000	670	67,00,000	558	83,70,000	1642 181,40,000
27	POETAJGARH	1189	59,45,000	368	26,80,000	778	41,70,000	1735 127,95,000
28	RAJGARH	857	42,85,000	513	51,50,000	362	54,30,000	1734 148,65,000
29	RAJNAGARH	460	23,00,000	310	31,00,000	334	50,10,000	1104 104,10,000
30	RIKAR	641	32,05,000	687	68,70,000	684	102,60,000	2012 202,35,000
31	SARGOLI	505	25,25,000	378	37,80,000	278	41,70,000	1161 81,75,000
32	TONK	661	33,05,000	479	47,90,000	376	56,40,000	1516 137,35,000
33	UDAIPUR	2833	141,65,000	786	78,80,000	864	129,60,000	4483 250,05,000
TOTAL		33712	1661,10,000	18550	1855,00,000	17418	2612,70,000	69190 6128,80,000

RajKaj Rol
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar
Bunker
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 10:16:22 IST
Reason: Approved

लेखा सम्बन्धी बिन्दु -

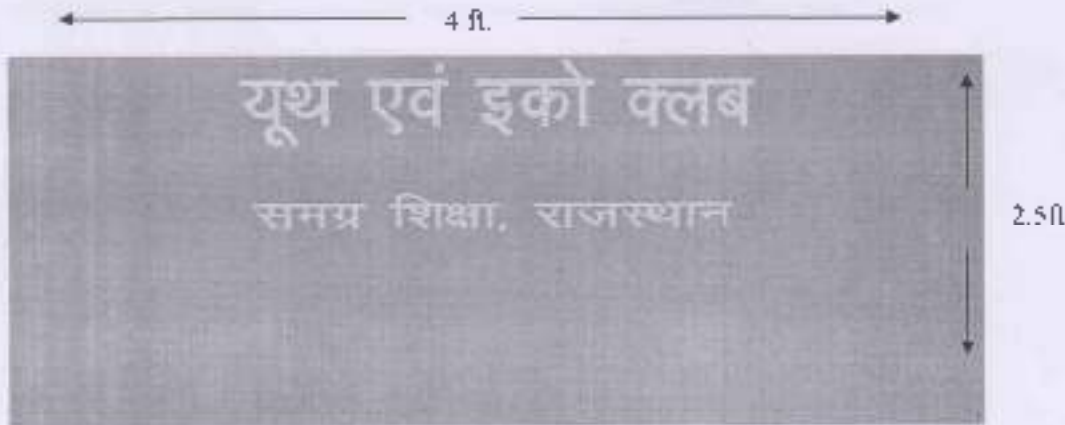
- इस नद ने निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- क्रय गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करी हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक लगान में शान्ति और विकास अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अखिरक पालना सुनिश्चित की जाये।

अन्य निर्देश -

- सलग परिशिष्टानुसार विद्यालय / ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिपद का प्रेषित करें।

यूथ एवं इको क्लब बोर्ड का प्रारूप

विद्यालय के मुख्यद्वार पर इस प्रारूप में बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा:



RajKaj Ref
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar
Bunker
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 10:16:22 IST
Reason: Approved

**यूथ एवं ईको क्लब
समयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर) 2024-25**

विद्यालय का नाम

सू-अर्थीस कोड

यूथ एवं ईको क्लब प्राप्त राशि

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि स.उ. 2024-25 में प्राप्त युथ एवं ईको क्लब राशि रु. का उपयोग एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि रुपये है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	विवरण	एवं का नाम	युथ समिती	बता / संख्या	उप	राशि (रुपये)	सम्पन्न का विवरण	संश्लेष विवरण में प्रमाणित		दि. वि.
									पुनः	संश्लेष	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त राशि राशि प्राप्त राशि विवरणों के अनुसार एसडीएमसी के प्रमाण संख्या दिनांक के अनुसार कार्य की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया साथ ही राज्य विद्यालय युथ मार्गदर्शक का नहीं है।

हस्ताक्षर
साक्षि
एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी

RajKaj Ref
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar
Bunker
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 14:16:22 IST
Reason: Approved

कार्यालय ब्लॉक जिला

यूथ एवं ईको क्लब

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर) 2024-25

प्रमाणित किया जाता है कि सब 2024-25 में ब्लॉक जिला के
सब गैरसरकारी विद्यालयों को जारी की गई यूथ एवं ईको क्लब की खति का उपयोग संबंधित संस्था
प्राप्त हुआ यूथ एवं ईको क्लब संतु परिषद से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में पूरी
प्राप्त कर ली गई है। तालिका आधार पर एकजुट उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है -

क्रमांक	विद्यालय का नाम	ब्लॉक ब्लॉक	विद्यार्थी के प्रकार / उपस्थिति	किया गया	पूरा रति	अन्य रति	नोट
योग							

सहसचिव
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

RajKaj Ref
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar
Bunker
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 16:22 IST
Reason: Approved

**यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर) 2024-25**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में जिला का यूथ एवं ईको क्लब सद में प्राप्त राशि रु. में से कुल कुल छात्र माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर केंद्र नुक की पुष्टि मख्या पर सम्पादन किया जा चुका है। जिला राशि का व्यय परिपत्र से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रोगेसि इमपी.प्राप्त. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों तरफों में अन्तर होने पर अक्षर-साक्षरता जिम्मेदार होगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

प्रबन्ध पोर्टल एम एन एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सक्षम स्तर से अनुप्रेक्षित आदेश।

(सुरेश कुमार बुनकर)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय
बिनांक

क्रमांक- रास्कूलशिप/जय/ओ.शि./ यूथ एवं ईको क्लब विज्ञा-निर्देश/2024-25/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. जिला सचिव, शारदा सांघेय स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. जिला सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. जिला सचिव निदेशावली निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार को भेजकर निवेदन है कि जिला शिक्षा निर्देश को प्रेषित/विज्ञापित के लिये संयुक्त निदेशक/सीसीईओ/जे.ए.ए.ए. एवं पा/सीसीईओ/संस्थारसो को आवश्यक निर्देश प्रदान करावे।
4. जिला सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सहायक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी परिषद कार्यालय, जयपुर।
8. संबंधित न्यायलय।

RajKaj Ret
7397048

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar
Bunker
Designation : Additional State Project
Director
Date: 2024.05.26 16:16:22 IST
Reason: Approved